24. प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम

- **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-19(2) मतें वर्णित स्वतंत्रता के अधिकारों पर **सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध** तथा **अपराध् उद्दीपन** के आधार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद : 15, 31, 85, 87, 174, 176, 341, 372 और 376 को संशोधित किया गया। दो नये अनुच्छेद-31 (क) और 31 (ख) तथा एक नई अनुसूची (नवीं अनूसची) को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद-31 (क) के अन्तर्गत भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया। जबकि अनुच्छेद -31 (ख) के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अनूसूची-9 में सम्मिलित अधिनियमों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे मूलाधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। अनुच्छेद-15 में खण्ड (2) जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हित में राज्य विशेष उपबंध कर सकता है।
- **सातवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 :** यह संशोधन राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया। इस संशोधन द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों में बांटा गया।
- **आठवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1690 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद -334 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
- **दसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1961 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा दादर और नागरहवेली संघ शासित प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित कर लिया गया।
- **बारहवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा, दमन और दीव को केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में सम्मिलित कर लिया गया।
- **तेरहवां संविधान अधिनियम, 1962 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा नागालैण्ड को भारत के 16वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया तथा संविधान में एक नया अनुच्छेद : 371 (क) जोड़कर नागालैण्ड के प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ विशेष प्रावधान किया गया।
- **चौदहवां संविधान अधिनियम 1962 :** चौदहवां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। पन्द्रहवें संशोधन द्वारा उच्च न्यायालयों के रिट सम्बन्धी अधिकारिता को भी बढ़ा दिया गया।
- **इक्कीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1966:** इस संशोधन अधिनियम द्वारा 'सिंधी' भाषा को आठवीं अनुसूची की भाषाओं में स्थान दिया गया।
- **बाइसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा 'मेघालय' के रूप में एक नये राज्य का सृजन किया गया।
- **तेईसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए संसद और राज्य विधायिकाओं में आरक्षण की अवधि को दस वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया।
- **चौबीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद-13 और 368 में संशोधन करके यह स्पष्ट किया गया **कि संसद को मौलिक** अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाषा में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है।
- **पचीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-31 (2) का संशोधन किया गया तथा एक नया अनुच्छेद -31 (ग) जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद-39 (ख) और (ग) जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद-39 (ख) और (ग) के नीति-निदेशक तत्वों को प्रभावी करने लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उससे मूलाधिकारों का हनन होता है।
- **छब्बीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के दो अनुच्छेदों-291 और 362 को संविधान से निकाल कर तथा एक नया अनुच्छेद-363 (ग) जोड़ कर भूतपूर्व राजाओं के प्रिवीपर्स

तथा विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।

- **सत्ताईसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 :** इसके द्वारा संविधान में दो नये अनुच्छेद, अनुच्छेद-239 (ख) और 371 (ग) जोड़े गये जबकि दो अनुच्छेदों, अनुच्छेद-239 (क) और 240 का संशोधन किया गया। दो नये केन्द्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश का सृजन किया गया।
- **इकतीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1974 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-81 में संशोधन करके लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गयी, जिसमें केन्द्र शासित प्रदेशों के 20 प्रतिनिधि होंगे।
- **छतीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 :** इस संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को सह-राज्य के स्थान पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पैंतिसवें संविधान संशोधन द्वारा अंत: स्थापित अनुच्छेद-2 (क) और अनुसूचि-10 को संविधान से निकाल दिया गया।
- **सैंतीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975:** इस संशोधन अधिनियम द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद् का प्रावधान किया गया।
- **बयालिसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 :** बयालिसवां संविधान संशोधन को आपातकाल के दौरान पारित किया गया। यह अब तक का सबसे व्यापक और सर्वाधिक विवादास्पद संविधान संशोधन है। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनेक उपबंधों में व्यापक परिवर्तन किये गये।
- इस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में तीन नये शब्द- **'धर्म'निरपेक्ष', 'समाजवाद'** तथा **'अखण्डता'** जोड़े गये।
- संविधान के भाग-4 में तीन नये नीति-निदेशक तत्व जोड़े गये-(i) सामान्य न्याय और नि: शुल्क विधिक सहायता (ii) उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, और (iii) पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार और वन तथा वन्य जीवों को सुधार।
- अनुच्छेद -31 (ग) में संशोधन करके मूल अधिकारों पर सभी नीति-निदेशक तत्वों को प्राथमिकता प्रदान की गई।
- एक नया भाग, **भाग-4 (क)** जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के **10 मूल कर्त्तव्यों** का उल्लेख है।
- अनुच्छेद-74 में संशोधन करके राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया।
- लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।
- यह प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में किये गये संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- संविधान में एक नया अनुच्छेद-139 (क) जोड़ा गया, जिसके अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वह सार्वजनिक महत्व के महत्वपूर्ण मामले को उच्च न्यायालयों से अपने पास मंगवा सकता है।
- केन्द्र को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वह राज्यों में विधि और व्यवस्था की गंभीर परिस्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बल को भेज सकता है।
- सातवीं अनुसूचि के राज्य सूची के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया।
- संविधान में दो नया अनुच्छेद - 323 (क) और 323 (ख) जोड़कर संसद को विभिन्न प्रकार के अधिकरणों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गयी।
- अनुच्छेद-352 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि आपातस्थिति की उद्घोषणा देश के किसी भाग के लिए भी की जा सकती है।
- अनुच्छेद-356 में संशोधन करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया।
- **चौवालिसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 :** 42वें संविधान द्वारा किये गये व्यापक परिवर्तनों को निरसित करने के उद्देश्य से जनता सरकार ने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया।
- इसके द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निकालकर एक नये अनुच्छेद-300 (क) में **कानूनी अधिकार** के रूप में रखा गया।
- **लोकसभा तथा राज्य विधान सभा की अवधि को पुन:** 6 वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष कर दिया गया।
- अनुच्छेद-352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए **'आंतरिक अशांति'** के स्थान पर **'संशस्त्र विद्रोह'** शब्द रखा गया अर्थात् सशस्त्र विद्रोह से आन्तरिक अशांति उत्पन्न होने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है।

- मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकेगी।
- अनुच्छेद : 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 1 वर्ष के स्थान पर पुनः 6 माह कर दिया गया।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को पुनः अधिकारिता प्रदान की गयी।
- 42वें संशोधन द्वारा मंत्रिमण्डल के सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन में यह व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के सलाह बाध्यकारी होगा।
- निवारक निरोध कानून के आधार पर किसी व्यक्ति को दो माह की अवधि के लिए ही नजरबन्द किया जा सकता है, लेकिन सलाहकार बोर्ड के परामर्श पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।
- **पैंतालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1980** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया।
- **इक्यावनवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1984** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद-330 में संशोधन करके मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोंकसभा के स्थान आरक्षित किये गये। नागालैण्ड तथा मेघालय की विधानसभाओं में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किये गये और इसके लिए अनुच्छेद-332 में संशोधन किया गया।
- **बावनावां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा दल-परिवर्तन को रोकने के लिए प्रावधान किये गये।
- **पचपनवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1986** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- **छप्पनवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1987** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को दमन और दीव से अलग करके राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि दमन और दीव को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया। गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया।
- **इकसठवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989** : अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा को **21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष** कर दिया गया।
- **बासठवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधनसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया।
- **इकहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा तीन नये भाषाओं -**कोंकणी, मणिपुरी** और **नेपाली** को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया गया।
- **तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियिम, 1992** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया **भाग-9** तथा **अनुच्छेद-243 क से 243 ण** तक 16 नये अनुच्छेद और एक नयी अनुसूची **11वीं अनुसूची** जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- **चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया **भाग-9 क** तथा अनुच्छेद -243 से 243 य छ तक 18 नये अनुच्छेद और एक नयी अनुसूची, बारहवीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन के संबंध में विस्तृत प्रावधान किये गये।
- **छिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1994** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित उस अधिनियम को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। जिसमें पिछड़े वर्गों के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- **सतहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम, 1995** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद -16 में एक नया खण्ड-4 (क) जोड़कर राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गयी।
- **चौरासीवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001** : इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को 2026 तक यथावत बनाये रखने का प्रावधान किया गया।
- **पिचायासीवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001:** इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई।

- **छियासीवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 :** सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह संविधान संशोधन पारित किया गया ताकि 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार में सम्मिलित किया जा सके।
- **सतासीवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 :** निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सन् 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया।
- **इक्यानवेवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 :** इसमें दलबदल-विरोधी कानून में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है कि केन्द्र और राज्य सरकारें अपने-अपने मन्त्रिमण्डल में मन्त्रियों की संख्या लोकसभा और विधान सभा की सीटों के 15% से ज्यादा नहीं कर सकतीं हैं।
- **बानवेवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 :** इसमें आठवीं अनुसूची में चार और भाषाओं-मैथिली, डोगरी, बोडो और सन्थाली, को जोड़ा गया है।
- **तिरानवेवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2006 :** इसमे अहत गैर-सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है इसे अनुच्छेद 15 में जोड़ा गया है।
- **पिनचयानवेवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2009 :** लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को 26 जनवरी, 2010 से आगामी दस वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है।
- **छियानवेवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2010 :** 'उड़िया शब्द के स्थान पर **'ओड़िया'** किया गया।
- **सन्तानवेवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 :** कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निर्माण की स्वतन्त्रता मौलिक अधिकारों में सम्मिलित की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन प्रबन्धन आदि के प्रोत्साहन को सम्मिलित किया गया।

EduBull.com